# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1496 ⁄ 2024

सैनी जगदीश भागीरथ

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, प्रशासनिक, जल संसाधन, जयपुर।
4. नितिका, कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड, झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुत करने की दिनांक** : 20.03.2024
**आदेश की दिनांक** :

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री धर्मेन्द्र कुमार बराला, (केवियटर)

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.08.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन कनिष्ठ अभियंता के पद पर जल संसाधन उपखण्ड, झुंझुंनू में किया गया। जहां अपीलार्थी वर्तमान में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के एकल आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से बाजूवाला जल संसाधन उपखण्ड, श्रीविजयनगर, सूरतगढ़ ब्रांच खण्ड–द्वितीय, श्रीविजयनगर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण बाजूवाला जल संसाधन उपखण्ड, श्रीविजयनगर, सूरतगढ़ ब्रांच खण्ड–द्वितीय, श्रीविजयनगर से जल संसाधन उपखण्ड, झुंझुनूं में अपीलार्थी के स्थान पर बेक डेट से निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो विधि–विरूद्ध है। क्योंकि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं के स्थानान्तरण किये गये थे। जिसमें अपीलार्थी का नाम सम्मिलित नहीं था तथा दिनांक 22.02.2024 से स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का बेक डेट में दिनांक 22.02.2024 को स्थानान्तरण करते हुए दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–2) को

अपीलार्थी को नवपदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 13.03.2024 को कनिष्ठ अभियंताओं के स्थानान्तरण सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर किये गये थे। जबकि अपीलार्थी दिनांक 15.03.2024 तक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकृत फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 15.03.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर कनिष्ठ अभियंता के पद पर जल संसाधन उपखण्ड, झुंझुंनू में कार्य करने दिया जावे एवं नियमित वेतन एवं परिलाभ दिये जावें।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर दिनांक 02.08.2022 से पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से बाजूवाला जल संसाधन उपखण्ड, श्रीविजयनगर, सूरतगढ़ ब्रांच खण्ड–द्वितीय, श्रीविजयनगर में प्रशासनिक कारणों से सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर राज्यहित में किया गया है, अपीलार्थी का स्थानान्तरण बेक डेट से किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रत्यर्थी विभाग के आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार

स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य